



पत्रांक 2118 / चम्पावत बाईपास

दिनांक 11 / 12 / 2025

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत ।

विषय :-

जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर - पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0 125(नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु MoRTH को प्रत्यावर्तन। (online proposal No-FP/UK/ROAD/31090/2017) की अनुपालन आख्या।

महोदय

उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय देहरादून के पत्र सं0-बी/यू0सी0पी0/06/112/2018/एफ0सी के द्वारा जनपद चम्पावत में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास में पडने वाले वन भूमि 8.94 हे0 में कतिपय शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क0सं 0	अनुपालन आख्या की शर्त	अनुपालन आख्या
1.	प्रतिपूरक वनीकरण	
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 18.50 हे0 अवनत वन भूमि (पूर्वी कांतेश्वर कक्ष सं. 11 अ(6.00हे0), पूर्वी देवीधुरा धूनाघाट कक्ष सं. 22 व 25 (5.50हे0) तथा पूर्वी देवीधुरा धूनाघाट कक्ष सं. 22 व 25 (7.00हे0)) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रस्तावित परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल आरक्षित वन भूमि में प्रस्तावित की गयी है, वृक्षारोपण कार्य वन विभाग द्वारा किया जाना है बिन्दु वन विभाग से सम्बन्धित है।
	(ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0 एम0 सी कार्य और डब्ल्यू0 एल0 एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल की के0एम0एल फाईल, पूर्व में ही आनलाई वन भूमि प्रस्ताव में प्रस्ताव में अपलोड की गयी है।
2.	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
	(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के wp(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, एवं 09.05.2008, तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी.(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम,	शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 11558079.00 भारत सरकार सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा UTR.NO CNRBR52025101467727776 के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है UTR. की छायाप्रति संलग्न है। (अंश 024-01)

	2023 अधिनियम में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इसका एक प्रस्ताव के तहत 8.94 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V.) की दरों में वृद्धि की जाएगी तो नई दरों में N.P.V. की धनराशि वन विभाग के पक्ष में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया जाएगा शपथ पत्र / प्रमाण पत्र संलग्न हैं। (संलग्नक-02)
3.	This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t Hon'ble Supreme court orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025.	माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। (संलग्नक-03)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 1709 वृक्षों से अधिक नहीं होगी। पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभावित 1709 वृक्षों का पातन वन विकास निगम द्वारा किया जाएगा, वन विकास निगम द्वारा जो भी धनराशि प्रस्तावित की जाएगी वह धनराशि भारत सरकार सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वन विकास निगम के पक्ष में जमा कर दी जाएगी। (संलग्नक-04)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य जीव प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass /overpass, अन्य कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रस्तावित मोटर मार्ग में किसी प्रकार के राष्ट्रीय वन्य जीव नहीं पाये जाने हैं, मुख्य वन्य जीव बोर्ड के निर्देशों का पालन किया जायेगा मोटर मार्ग का निर्माण under pass /overpass, नहीं किया जाना है अतः यह विन्दु लागू नहीं है।
6.	प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया कि वन क्षेत्र में मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में उत्सर्जित मलुवे के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार भूमि घयनित की गयी हैं 1. आरक्षित भूमि में 0.200 हे० 2. वनपंचायत भूमि में 0.220 हे० 3. सिविल भूमि 0.120 हे० कुल 0.540 हे० प्रस्तावित भूमि में ही मलवे का निस्तारण किया जायेगा उसके अतिरिक्त वन भूमि में मलुवा निस्तारण नहीं किया जायेगा प्रमाण पत्र संलग्न। (संलग्नक-05)
7.	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	विन्दु सं० 06 के अनुसार (संलग्नक-05 A)
8.	The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/Management plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation plan(SMCP) at the cost of user Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative	वाइल्ड लाइफ की धनराशि ₹० 13950000.00 एवं एस०एम०सी०पी० की धनराशि ₹० 3432000.00 कुल 17382000.00 वन विभाग के पक्ष में भारत सरकार सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा UTR.NO CNRBR52025101467727776 के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी है। (भारत सरकार सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कुल धनराशि ₹० 38986264. जमा की गयी है) (संलग्नक-06)

31/2

31/2

	financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	
9.	गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	वृक्षों के पातन के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। (संलग्न-07)
10.	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण ii का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान निर्देशों का पालन किया जायेगा। (संलग्न-08)
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन जाएगा एवं संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र में प्रमाण प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रेषित किया जाएगा।	पूर्व में वनभूमि प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2006 लगाया गया है। पुनः छायाप्रति संलग्न है। (संलग्न-09)
12.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित धन जमा किए जाएंगे।	वन विभाग के पक्ष में निम्न प्रकार धनराशि जमा की गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि 10046180.00 1. एनपीवी0 11558079.00 2. डब्ल्यूएलएमपी0 13950000.00 3. एसएमसीपी0 3432000.00 उक्तानुसार कुल धनराशि 38986264.00 भारत सरकार सड़क परिवहन राजमार्ग द्वारा UTR.NO CNRBR52025101467727776 के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी है। छायाप्रति संलग्न है। (संलग्न-10)
13.	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल(https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन आख्या ऑनलाइन पोर्टल में आपलोड कर दि जाएगी। (संलग्न-10 अ)
ख.	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण- ii अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। प्रमाण पत्र संलग्न। (संलग्न-11)
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल आरक्षित भूमि में चयन किया गया है। (संलग्न-12)
3.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल को आरक्षित भूमि में चयन किया गया है बिन्दु वन विभाग से संबंधित है। (संलग्न-12 अ)

आ

श

	लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	
4.	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणीयाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	लागू नहीं हैं।
5.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक /राज्य वन्यजीव बोर्ड /राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	लागू नहीं हैं।
6.	वैकल्पिक /प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	बिन्दु वन विभाग से संबंधित हैं।
7.	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगे।	बिन्दु वन विभाग से संबंधित हैं।
8.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 इस परियोजना में लागू नहीं है।
9.	केन्द्र सरकार कि पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्नक-13)
10.	वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्नक-14)
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनीय स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा। (संलग्नक-15)
12.	संबंधित वनमण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को प्रयोजना लागत पर आर.सी.सी पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward /Backward Bearings अंकित हो।	अनुपालन किया जाएगा। संलग्नक 15(A)
13.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।	अनुपालन किया जाएगा। संलग्नक-15(B)
14.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साईनेज बनाया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा। (संलग्नक-16)
15.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा। (संलग्नक-17)
16.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में	वन भूमि का उपयोग परियोजना के अतिरिक्त अन्य

	विनिर्दिष्ट परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	किसी परियोजना हेतु नहीं किया जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न। (संलग्नक - 18)
17.	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक - 19)
18.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक 20)
19.	The user agency in consultation with the state government shall create and maintain alternate habitat / home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Birds nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.	लागू नहीं।
20.	The user agency shall assist the state government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the chief wildlife warden of the state, if applicable.	लागू नहीं।
21.	The user agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable.	
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं मलवे का निस्तारण चयनित डम्पिंग स्थलों पर डाला जायेगा। (संलग्नक - 21)
23.	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक - 22)

24.	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक-23)
25.	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।	उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक-24)

पत्रांक

अधिसासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड लो०नि०वि० लोहाघाट।
अ/दिनांक / /2025

- प्रतिलिपि 1: मुख्य अभियन्ता-क्षेत्रीय अधिकारी सडक परिहवन एवं राजमार्ग मंत्रालय देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि 2: अधीक्षण अभियन्ता रा०मा०वृत्त खण्ड लो०नि०वि० हलद्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि 3:- सहायक अभियन्ता रा०मा० खण्ड लो०नि०वि० लोहाघाट को उक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड लो०नि०वि० लोहाघाट।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-10-2025

Agency Name.	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
Application No.	6131090705
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	84,Vasant Vihar Phase -II, P.O new Forest, DehradunDehradun
Amount(In Rs)	38986264/-

Amount in Words :Three Crore Eighty-Nine Lakh Eighty-Six Thousand Two Hundred and Sixty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896131090705 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-10-2025

Agency Name.	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
Application No.	6131090705
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	84,Vasant Vihar Phase -II, P.O new Forest, Dehradun Dehradun
Amount(In Rs)	38986264/-

Amount in Words :Three Crore Eighty-Nine Lakh Eighty-Six Thousand Two Hundred and Sixty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896131090705 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

31/10/25

अभिषेक अभियन्ता
प्रमाणित, लोडिंग विभाग
लोहाघाट

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎:- 05965-234076



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०१२५ (नया ०९) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु ८.९४० हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु विशेषक्ष/माननीय स न्यायालय द्वारा भविष्य में शुद्ध वर्तमान भूतय (N.P.V) की दरों में वृद्धि की जाएगी तो नई दरों में (N.P.V) की धनराशि वन विभाग पक्ष में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी, प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎ :- 05965-234076



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०१२५ (नया ०९) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु ८.९४० हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायगा, प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।


अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्न-04)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

☎ :- 05965-234076



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित 1709 वृक्षों का पातन वन विकास निगम द्वारा किया जाएगा, वन विकास निगम द्वारा जो भी धनराशि प्रस्तावित की जाएगी वह धनराशि भारत सरकार सडक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वन विकास निगम के पक्ष में जमा कर दी जाएगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।


अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-05)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎ :- 05965-234076



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट



उत्तराखण्ड शासन

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०१२५ (नया ०९) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु ८.९४० हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु आरक्षित भूमि ०.२०० हे०, वन पंचायत भूमि में ०.२२० हे०, सिविल भूमि ०.१२० हे० कुल ०.५४० हे० प्रस्तावित भूमि में ही उत्सर्जित मलवे का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वन भूमि में मलवा का निस्तारण नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।


अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक - 05 A)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎ :- 05965-234076



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट



उत्तराखण्ड शासन

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।


अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक - 06)

Sl. No.	Sanction No.	Sl. No.	Sanction Amount	Sanction Amount	Sanction Name	Sl. No.	Sanction Amount	Sanction Name	Sl. No.	Sanction Amount	Sanction Name	Sl. No.	Sanction Amount	Sanction Name	Sl. No.	Sanction Amount	Sanction Name
141	141/2017	141/2017	141/2017	141/2017	141/2017	141/2017	141/2017	141/2017	141/2017	141/2017	141/2017	141/2017	141/2017	141/2017	141/2017	141/2017	141/2017

242

सचिव की प्रमाणित
साठगुप्त को
रिपोर्ट

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-10-2025

Agency Name.	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
Application No.	6131090705
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	84,Vasant Vihar Phase -II, P.O new Forest, DehradunDehradun
Amount(In Rs)	38985264/-

Amount In Words :Three Crore Eighty-Nine Lakh Eighty-Six Thousand Two Hundred and Sixty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896131090705 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jalita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-10-2025

Agency Name.	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
Application No.	6131090705
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	84,Vasant Vihar Phase -II, P.O new Forest, Dehradun Dehradun
Amount(In Rs)	38985264/-

Amount In Words :Three Crore Eighty-Nine Lakh Eighty-Six Thousand Two Hundred and Sixty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896131090705 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jalita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, apurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

21/10
AF

राधिकासी अभियन्ता
पाठमांडल, लोहाघाट
लोहाघाट

(संलग्नक - 09)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎:- 05965-234076



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वृक्षों के पातन के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।


अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(कलक-08)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎ :- 05965-234076



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट

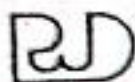


वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०१२५ (नया ०९) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु ८.९४० हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान निर्देशों का पालन किया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।


अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

E-mail : shiksha@rajghat.org



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट

☎ : 05965-214076



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०१२५ (नया ०९) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु ८.९४० हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ०आर०ए० २००६ का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

परियोजना का नाम :- चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चम्पावत।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी
अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण - पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चम्पावत।

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण (आरक्षित वन भूमि 1.200 हे० सिविल सोयम भूमि 3.720 हे०, वन पंचायत भूमि 3.480 हे०) अर्थात् कुल 8.380 हे० एवं मलुवा निस्तारण हेतु 0.540 हे० कुल 8.940 वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चम्पावत की दिनांक 15-02-2018 को सम्मान बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 कि अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सुश्री सीमा विश्वकर्मा, उपजिलाधिकारी चम्पावत एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- सुश्री सीमा विश्वकर्मा, उपजिलाधिकारी चम्पावत - अध्यक्ष
- 2- श्री मनोहर सिंह सेनिण, उप प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत - सदस्य
- 3- श्री हेमा देवी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत - सदस्य/सचिव
- 4- श्री हेमा देवी, बी०डी०सी० क्षेत्र फुगर, - सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

"जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण" परियोजना हेतु 8.940 हे० वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में

(संलग्नक-10)

Sl. No.	Sanction No.	Bill No.	Sanction Amount	Sanction Account No.	Sanction Amount	Sanctionary Name	PSI Code	Accountant Name	Primary Institution of	Pa/CCDO SIC date & Time Stamp	Credit Status	Credit Status	Bank Name	Survill Date	PSI No. (Bank Transaction ID)
01	00000000	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

अ.प.
अ.प.

अ.प. की जमानता
अ.प. की जमानता
अ.प. की जमानता

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-10-2025

Agency Name.	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
Application No.	6131090705
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	84,Vasant Vihar Phase -II, P.O new Forest, DehradunDehradun
Amount(In Rs)	38986264/-

Amount in Words :Three Crore Eighty-Nine Lakh Eighty-Six Thousand Two Hundred and Sixty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896131090705 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jalitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-10-2025

Agency Name.	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
Application No.	6131090705
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	84,Vasant Vihar Phase -II, P.O new Forest, Dehradun Dehradun
Amount(In Rs)	38986264/-

Amount in Words :Three Crore Eighty-Nine Lakh Eighty-Six Thousand Two Hundred and Sixty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896131090705 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jalitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

अक

अधिशारी अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०दि०
लोहाघाट



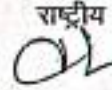
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://Parivehnic.in>) पर अपलोड की जाएगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।


अधिशासी अभियन्ता

 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्न - 11)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट

☎ :- 05965-234076



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०१२५ (नया ०९) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु ८.९४० हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।


अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-12)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

☎ :- 05965-234076



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल आरक्षित भूमि में चयन किया गया है। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

E-mail :- nhloahaghat@gmail.com

☎ :- 05965-234076



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-13)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट

☎ :- 05965-234076



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.940 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(अनंलग्न-१५)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎ :- 05965-234076



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०१२५ (नया ०९) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु ८.९४० हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में वनभूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-15)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎ :- 05965-234076



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोहाघाट, लोहाघाट



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनीय स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।


अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎ :- 05965-234076



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०१२५ (नया ०९) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु ८.९४० हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में सम्बन्धित वनमण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को प्रयोजना लागत पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward/Backword Bearing अंकित हो, प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।'

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

—नं० ल० ग० — 15(8)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट

☎ :- 05965-234076



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०१२५ (नया ०९) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु ८.९४० हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों ओर central verge पर Strip Plantation करेगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(24/05/14-16)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎:- 05965-234076



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में नियमित अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साईनेज बनाया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।


अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-17)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

☎ :- 05965-234076



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।


अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎ :- 05965-234076



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में वनभूमि का उपयोग परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।


अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-19)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

☎:- 05965-234076



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का 'गैर वानिकी' कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।


अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

(संलग्नक-20)

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

☎ :- 05965-234076



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०१२५ (नया ०९) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु ८.९४० हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

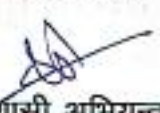
प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०१२५ (नया ०९) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु ८.९४० हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा एवं मलुवे का निस्तारण चयनित डम्पिंग स्थलों पर डाला जाएगा। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।


अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.940 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।


अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।

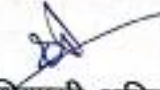


कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.940 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से सम्बन्धित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।


अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाना है कि जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०125 (नया 09) पर चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.940 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी। प्रयोक्ता विभाग जिसके लिए वचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण
विभाग, लोहाघाट।